





**म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल**  
मध्यप्रदेश शासन  
**M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL**  
Government of Madhya Pradesh

क्रमांक 730...म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

दिनांक 23/7/2018

//आदेश//

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013,2016 की धारा 9(ख) में दिये गये प्रावधानों के अध्याधीन गठित निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन, आयोग की 131 वीं बैठक दिनांक 11/07/2018 क एजेण्डा क्रमांक 131(5) से लिए गये निर्णय तथा संबन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा दिये गये अनायास प्रमाण पत्र के आधार पर स्थापित ऑरियंटल विश्वविद्यालय, इन्दौर परिसर में संचालित निम्नलिखित संस्थानों को निजी विश्वविद्यालय में नवीन विभागों/पाठ्यक्रमों के रूप में स्थापित किये जाने हेतु अनुज्ञा इस शर्त के अध्याधीन प्रदान की जाती है कि विश्वविद्यालय उपरोक्त नवीन विभागों के संचालन में मानक संस्थाओं, केन्द्रीय एवं राज्य शासन एवं मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013,2016 में प्रावधानों का पूर्ण पालन करेगा :-

**New Programmes :**


S.no	Name of course	Intake
1	B.Sc Hons (Agriculture) (Ordunca no 35)	480

for [Signature] सचिव 23/7/18

पृष्ठकन क्रमांक 732...म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

दिनांक 23/7/2018

प्रतिलिपि:-कुलसचिव, ऑरियंटल विश्वविद्यालय, रेवती रेंज गेट नम्बर 1 अन्नपूर्णा मंदिर, सांवेर रोड, जाख्या, इन्दौर-453555



[Signature] सचिव 23/7/18

कार्यालय : ज्ञान वाटिका, वाल्मी रोड, कलियासोत डेम के सामने, भोपाल-462016 (म.प्र.) ई-मेल : sec.mppurc@gmail.com, वेबसाइट : mpnva.in, फोन : 0755-2490322  
Office : Gyan Vatika, Walmi Road, Opposite Kaliasot Dam, Bhopal-462016 (M.P.) Email : sec.mppurc@gmail.com, Website : mpnva.in, Phone : 0755-2490322

# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL  
Government of Madhya Pradesh

885A

दिनांक 01/12/23

क्रमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023-24

//आदेश//

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित 2013 एवं 2016 की धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 184 वीं सभा बैठक दिनांक 27.06.2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में ओरिंटल विश्वविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.) के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2022-23 से तालिका में दर्शित सीट संख्या के अनुसार संचालन करने की कार्योत्तर अनुमति निम्न शर्तों के अधधीन प्रदान की जाती है :-

क्र.	संकाय का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	वर्तमान में स्वीकृत सीट संख्या (9 वीं अनुसार)	प्रस्तावित नवीन/वृद्धि सीट संख्या	अनुमोदित कुल सीट संख्या	संबंधित विनियामक परिषद् का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	प्रकाशित अध्यादेश क्रमांक
1	Faculty of Management	BBA (BIA/BFSI/FINTECH/DGM/RM)	-	60	60	-	8
2	Faculty of Science	Master of Arts (Clinical Psychology)	-	18	18	-	7

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों को किया जाए।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजी.सी. एवं अन्य संबंधित परिषदों मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जाना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों के नियमानुसार किये जायेंगे।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित की गई गाईड लाईन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि. आयोग के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः कराना होगा।

निरंतर...



# म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL  
Government of Madhya Pradesh

क्र. 1856  
कमांक...../म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023-24

//आदेश//

दिनांक 24/7/23

मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 अधिसूचना 2013 एवं 2016 को धारा 9(ख) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अंतर्गत गठित की गई निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर आयोग की 184 वीं सभा की बैठक दिनांक 27/06/2023 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में ओरियंटल विश्वविद्यालय इन्दौर (म.प्र.) में नवीन पाठ्यक्रमों को शैक्षणिक सत्र 2023-24 से तालिका में दर्शित सीट संख्या व अनुसार संचालन करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	स्वीकृत सीट संख्या	अध्यादेश क्रमांक
1.	B.Sc. (Physics-Chemistry/Maths)	60	8
2.	B.Sc. (Data Science & Data Visualization)	60	8
3.	Bachelor of Arts (Psychology)	60	8
4.	Bachelor of Computer Application	120	8
5.	Master of Computer Application	120	7

शर्त :-

- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजीसी एवं अन्य संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार अनिवार्य रूप से अनुमति प्राप्त होने की शर्त है। उपरोक्त पाठ्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु यूजीसी एवं अन्य संबंधित परिषदों के मापदण्डों के अनुसार शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति सुनिश्चित की जानी अनिवार्य होगी।
- उपरोक्त पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के प्रवेश संबंधित विनियामक परिषदों की गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई गाइड लाइन/मापदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा।
- विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन एवं म.प्र.नि.वि.वि.आयोग के द्वारा समय-समय पर उचित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली से निरीक्षण कराना अनिवार्य होगा तथा नेक प्रत्यायन एवं मूल्यांकन अनिवार्यतः करना होगा।
- व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु नामक एजेंसियों से मेडिंग/मूल्यांकन आवश्यक रूप से प्राप्त करना होगा तथा पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रैकिंग संस्था/एजेंसियों के मापदण्डों की पूर्ति करना होगा।
- यूजीसी के प्रावधानानुसार पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का डिप्लोमा, डिग्री एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्रों का डिजिटल रिकार्ड (एन.ए.सी.) संचालित करना होगा।
- पाठ्यक्रमों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर एवं निरीक्षण के दौरान किसी प्रकार की गलती पाये जाने पर नियमानुसार अनुमति निरस्त की जायेगी।

(मा अध्यक्ष महो. द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. के.पी. साहू)  
सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल  
दिनांक /07/2023

पृष्ठांकन...../ म.प्र.नि.वि.वि.आयोग,भोपाल/अका-1/2023-24  
प्रतिलिपि-

1. निजी सहयोग के माध्यम से मा. अध्यक्ष महो. म.प्र. नि.वि.वि.आयोग, भोपाल
2. कुलसचिव, ओरियंटल विश्वविद्यालय इन्दौर (म.प्र.) की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रभाषी आई.टी. प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनाएं।
4. प्रभाषी छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनाएं।
5. प्रभाषी शुल्क नियंत्रण प्रकोष्ठ, म.प्र. नि.वि.वि.आयोग की ओर सूचनाएं।
6. मूल नरती।

सचिव  
म.प्र.नि.वि.वि.आयोग, भोपाल



# ORIENTAL UNIVERSITY, INDORE

"A Professional University"

First Self Financed University Estd., at Indore by M.P. Legislative Assembly under section of 2f of UGC. 1956 Act

OUI/Reg./2021-22/1624

June 20, 2022

The Secretary  
MP Private University Regulatory Commission  
Gyan Vatika, Valmi Road  
Bhopal (M.P)

**Subject: Submission of change in sanctioned intake and provisional intake for academic session 2022-23.**

Respected Sir,


This is with reference to the Cost of Education for the Fee Review (Academic Year 2022-23) it is to bring in your kind knowledge that Oriental University, Indore has changed its intake in following programs as under:

S. No.	Program	Intake in 2021-22	Proposed intake for 2022-23
1	B. Sc. Agriculture (Hons)	480	180
2	B. Com.	180	60
3	PGDCA	500	0
4	BA-BEd	100	0
5	M. Sc.	180	54
6	B. Sc.	120	420

The approval of the Governing Body is enclosed herewith this letter for your ready reference and kind approval.

You are requested kindly to acknowledge the same and oblige.

Thanking you,

  
(Dr. Pradyumna Yadav)  
Registrar



Encls: a/a

**Agenda 3: Approval of Board of Management held Meeting on May 17, 2022.**

As proposed by the Academic Council and recommended by the Board of Management, the Governing Body approved starting of new programs (for which Ordinance was already published) with effects from Academic Session 2022-23.

S. No.	Program	Proposed intake for 2022-23	Published Ordinance No. and Date
1	Bachelor of Arts	60	8 (27/07/2012)
2	Master of Arts	18	7 (27/07/2012)
3	Bachelor of Computer Applications	120	8 (27/07/2012)
4	Master of Computer Applications	120	9 (27/07/2012)
5	Master of Public Health (MPH)	18	To be published

As proposed by the Academic Council and recommended by the Board of Management, the Governing Body approved a change in intake for the following courses with effects from Academic Session 2022-23.

S. No.	Program	Intake in 2021-22	Proposed intake for 2022-23
1	B. Sc. Agriculture (Hons)	480	180
2	B. Com.	180	60
3	PGDCA	500	0
4	BA-Bed	100	0
5	M. Sc.	180	54
6	B. Sc.	120	420

It is instructed to Member Secretary to inform the Regulatory Commission accordingly for necessary action.

